

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।  
अपील संख्या:-258/17 (2017/00258)

1. पवन कुमार केजरीवाल पुत्र श्री हीरालाल केजरीवाल, जाति महाजन, उम्र 50 वर्ष निवासी मोदी रोड़, झुन्झुनू, राजस्थान।

—अपीलान्त

बनाम

1. प्राधिकृत अधिकारी (आयुक्त) नगर परिषद, सीकर।
2. महावीर प्रसाद खेतान पुत्र श्री रामेश्वरलाल खेतान, निवासी बानूड़ा तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर हाल आबाद सी-64, अम्बाबाड़ी, जयपुर।
3. उप पंजीयक कार्यालय सीकर।


—रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 29.08.2018

निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी नगर पालिका अधिनियम के तहत न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (आयुक्त) नगर परिषद सीकर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 23.01.2015 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 233 (पुरान खसरा नम्बर 129/2) रकबा 2.50 हैक्टर वाके ग्राम देवीपुरा के खातेदार पन्नालाल पुत्र घनश्याम दत्तक पुत्र नानू, जाति माली, निवासी सीकर के हिस्से में 0.68 हैक्टर भूमि थी, जिसमें से उक्त पन्नालाल ने जरिये राधेश्याम सैनी मुख्यारआम 45X60 यानि 300 वर्गगज का एक आवासीय भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.12.2011 को निगरानीकार को विक्रय कर दिया से क्रय करने के पश्चात् निगरानीकार द्वारा नगर परिषद सीकर से उक्त आवासीय भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने के लिये नगर परिषद सीकर के समक्ष आवेदन मय आवश्यक दस्तावेजात प्रस्तुत किया जिसे बाद जांच नगर परिषद के द्वारा निगरानीकार के नाम से पट्टा नम्बर 6669 दिनांक 16.07.2013 को रजिस्टर्ड करवाया गया उक्त रजिस्टर्ड पट्टे के खिलाफ प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा एक शिकायत नगर परिषद के समक्ष दिनांक 27.11.2014 को प्रस्तुत की गई जिसके आधार पर निगरानीकार के पक्ष में जारी उक्त पट्टा नम्बर 6669 दिनांक 16.07.2013 को प्रत्यर्थी संख्या 1 के द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 धारा 34 के तहत प्रतिसंहारित किया गया तथा उक्त पट्टे के लिये जमा करायी गयी राशि भी जब्त करने के आदेश जारी किये गये है, जो विधि विरुद्ध होने के कारण अपास्तनीय है।

  
संभागीय आयुक्त  
जयपुर

P.T.O.

(2)

अधिवक्ता निगरानीकार ने कथन किया है कि प्राधिकृत अधिकारी (आयुक्त) नगर परिषद, सीकर ने निगरानीकार का पट्टा निरस्त करने का आधार यह अंकित किया है कि खातेदार पन्नालाल ने आराजी खसरा नम्बर 129/2 (नया खसरा नम्बर 233) वाके ग्राम देवीपुरा में से 1 बीघा पुख्ता भूमि (3025 वर्गगज) अल्लारख को विक्रय कर दिया तथा श्रीमती सरोज शाह ने उक्त भूखण्ड को दो टुकड़ों में प्रत्यर्थी महावीर प्रसाद खेतान के माता-पिता को दिनांक 28.03.1987 को विक्रय कर दिया तत्पश्चात् महावीर प्रसाद खेतान व उसकी माता जमुनादेवी के हक में नगर परिषद द्वारा पट्टे भी जारी कर दिये गये तो उसी भूमि का पन्नालाल को दिनांक 15.12.2011 को दुबारा बेचान नहीं कर सकता था। उन्होने कथन किया है कि प्राधिकृत अधिकारी नगर परिषद सीकर ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय इस बात की अनदेखी की है कि उक्त खसरा नम्बर में विक्रेता पन्नालाल के हिस्से में 0.68 हैक्टर भूमि थी इसलिये यदि विक्रेता पन्नालाल पूर्व में 1 बीघा पुख्ता भूमि अल्लारख को विक्रय कर चुका था तो भी खातेदार पन्नालाल के पास उक्त खसरा नम्बर में काफी भूमि शेष रही थी जिसे वह विक्रय करने में सक्षम था इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी नगर परिषद सीकर द्वारा अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 28.01.2015 में यह कहना कि पन्नालाल दिनांक 15.12.2011 को कोई भूमि बेचान नहीं कर सकता था, सरासर विधि विरुद्ध है।

अधिवक्ता निगरानीकार ने कथन किया है कि प्राधिकृत अधिकारी नगर परिषद सीकर ने निगरानीकार का पट्टा निरस्त करते समय प्रत्यर्थी महावीर प्रसाद खेतान व उसकी माता के पक्ष में जारी पट्टों पर विश्वास करते हुये विधि के प्रावधानों का घौर उल्लंघन किया गया है क्योंकि प्रत्यर्थी महावीर प्रसाद खेतान व उसकी माता के पक्ष में केवल अपर्याप्त स्टाम्प पर लिखित अपंजीकृत विक्रय करार थे जिनके आधार पर पट्टे जारी किये गये, जो विधि सम्मत नहीं थे क्योंकि अपर्याप्त स्टाम्प पर लिखित अपंजीकृत विक्रय करार का कानून की नजरों में कोई महत्व नहीं है इसके विपरित निगरानीकार के पास में पंजीकृत विक्रय पत्र था जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है, वैसे भी विधिनुसार अपंजीकृत विलेख के समक्ष पंजीकृत दस्तावेजात को वरियता दी जाती है। उन्होने कथन किया है कि निगरानीकार द्वारा अपने इस आवासीय भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने के लिये नगर परिषद सीकर के समक्ष पट्टा प्राप्त करने के सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेजात जिसमें कृषि भूमि खसरा नम्बर 233 की जमाबन्दी, रेवेन्यू नक्शा, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, शपथ पत्र क्षतिपूर्ति बन्धपत्र आदि दस्तावेजात संलग्न किये थे तथा उक्त दस्तावेजात के आधार पर नगर परिषद सीकर की ओर से सम्पूर्ण जांच की कार्यवाही की गई जिसमें उक्त आवासीय भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने के सन्दर्भ में आपत्ति सूचना दैनिक अखबार में प्रकाशित करवाने के साथ-साथ अपने अधिकारियों से मौके की जांच व दस्तावेजात की जांच रेवेन्यू अधिकारी से भी मंगवायी गई तथा बाद जांच सन्तुष्ट होने पर एवं दस्तावेजात सही पाये जाने पर निगरानीकार के पक्ष में उक्त आवासीय भूखण्ड के सन्दर्भ में पट्टा नम्बर 6669 दिनांकित 16.07.2013 को जारी किया गया, जिस पट्टे को प्राप्त करने के लिये निगरानीकार की ओर से रुपये 49,600/- जमा

P.T.O.

संभागीय आयुक्त  
जम्पुर

(3)

करवाये गये तथा बाद में इसी प्रीमियम राशि के आधार पर इस पट्टे का पंजीयन उप पंजीयन कार्यालय सीकर में दिनांक 22.08.2013 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 953 पेज नम्बर 3 क्रम संख्या 2013012497 पर पंजीकृत किया गया।

अधिवक्ता निगरानीकार ने कथन किया है कि विधिक प्रावधानों के अनुसार किसी भी पंजीकृत दस्तावेज को अनाधिकृत या शून्य या फिर निष्प्रभावी घोषित करने के लिये केवल सिविल न्यायालय ही सक्षम है, प्राधिकृत अधिकारी नगर परिषद सीकर को निगरानीकार के पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.12.2011 को अनाधिकृत या निष्प्रभावी कहने का कोई अधिकार नहीं था, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने निगरानीकार के पक्ष में पंजीकृत उक्त विक्रय पत्र दिनांक 15.12.2011 को शून्य या निष्प्रभावी घोषित कराने के किये आज तक किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया है तथा ना ही निगरानीकार के पक्ष में उक्त आवासीय भूखण्ड के संदर्भ में निष्पादित एवं पंजीकृत उक्त विक्रय पत्र दिनांकित 15.12.2011 को भी किसी भी सिविल न्यायालय ने शून्य व निष्प्रभावी ही घोषित किया गया है, इन परिस्थितियों में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा निगरानीकार के पक्ष में पंजीकृत उक्त विक्रय पत्र को इग्नोर करते हुवे उसके पक्ष में जारी पट्टों को प्रतिसंहरित किया जाना कतई उचित व न्यायसंगत नहीं है। अतः इस आधार पर आक्षेपित निर्णय दिनांक 28.01.2015 निरस्त होने योग्य है।

अधिवक्ता निगरानीकार ने कथन किया है कि प्राधिकृत अधिकारी नगर परिषद सीकर द्वारा उक्त आक्षेपित निर्णय दिनांक 28.01.2015 पारित करने से पूर्व कभी भी उक्त आवासीय भूखण्ड की मौके की जांच नहीं की गई तथा ना ही मौके की जांच किये जाने के सन्दर्भ में निगरानीकार को कोई नोटिस ही जारी किये गये, मौके की जांच किये बिना ही प्राधिकृत अधिकारी नगर परिषद सीकर की ओर से यह माना जाना कि मौके पर प्रत्यर्थी संख्या 2 का कब्जा था कतई उचित व न्यायसंगत नहीं है व इस प्रकार आक्षेपित निर्णय दिनांक 28.01.2015 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से भी निरस्त होने योग्य है। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी संख्या 1 प्राधिकृत अधिकारी नगर परिषद सीकर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 28.01.2015 को अपास्त किया जावे तथा उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में निगरानीकार के पक्ष में जारी पट्टा नम्बर 6669 दिनांक 16.07.2013 रजिस्टर्ड दिनांक 22.08.2013 को बहाल किये जाने की कृपा की जावे।

अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने निगरानी के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (आयुक्त) नगर परिषद, सीकर द्वारा प्रकरण में पक्षकारान को सुना जाकर एवं विधिक प्रक्रिया अपनाकर ही आक्षेपित आदेश दिनांक 28.01.2015 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नहीं की गई है। अतः निगरानी खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

संभागीय आयुक्त  
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 129/2 रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा बारानी दायम जो पन्नालाल सैनी पुत्र श्री नानू जाति माली की वाके ग्राम देवीपुरा तहसील व जिला सीकर में भूमि स्थित है, में से 1 बीघा पुख्ता भूमि अर्थात् 0.25 हैक्टर अर्थात् 3025 वर्गगज दक्षिणी ओर की सड़क से लगती हुई को पन्नालाल सैनी ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 24.12.1980 को क्रेता अलारख पुत्र हमीद खॉ को विक्रय किया था जिसका पंजीकरण उप पंजीयक कार्यालय सीकर में दिनांक 06.01.1981 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 106 के पृष्ठ संख्या 263 से 266 क्रमांक 2353 पर पंजीबद्ध हुआ, उक्त 1 बीघा भूमि का अलारख पुत्र श्री हमीद खॉ एकमात्र मालिक काबिज स्वामी एवं अधिकारी हुआ। उन्होंने कथन किया है कि उक्त 1 बीघा खरीदशुदा भूमि में से अलारख पुत्र श्री हमीद खॉ ने 90X140 (1400 वर्गगज) का भूखण्ड श्रीमती सरोज देवी शाह पत्नी श्री मुरारीलाल शाह, निवासी वार्ड नम्बर 1 सीकर को दिनांक 26.03.1983 को विक्रय कर दिया, तत्पश्चात् श्रीमती सरोज देवी शाह ने उक्त भूखण्ड को दो भागों में (प्रत्येक की साईज 45X140 फीट क्षेत्रफल-700 वर्गगज) श्री रामेश्वरलाल खेतान व श्रीमती जमना देवी अग्रवाल को दिनांक 28.03.1987 को विक्रय कर दिये तथा कब्जा भी मौके पर रामेश्वरलाल खेतान व श्रीमती जमनादेवी को करा दिया था।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 महावीर प्रसाद खेतान के माता-पिता ने सन् 1987 में ही उक्त दोनों भूखण्डों की बाउण्ड्रीवाल बनवाई तथा गेट लगवाया एवं मौके पर उक्त दोनों भूखण्ड साईज-1400 वर्गगज एक ही यूनिट के रूप में है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता श्री रामेश्वर लाल खेतान की मृत्यु दिनांक 11.07.2002 को हुई, तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 2 महावीर प्रसाद खेतान व उसकी माता के नाम से नगर परिषद सीकर द्वारा दिनांक 18.11.2004 को नगर परिषद सीकर द्वारा पट्टे जारी किये गये जो दिनांक 30.11.2004 को रजिस्टर्ड हुये। उन्होंने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता व माता ने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 09.05.2002 में खरीदशुदा भूखण्डों का आवंटन जारी करने बाबत नगर परिषद सीकर में पृथक-पृथक आवेदन दिया, उस समय उक्त खसरा नम्बर धारा 90 बी के तहत नगर परिषद सीकर के नाम दर्ज नहीं हुआ था, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता की मृत्यु दिनांक 11.07.2002 को हुई इस कारण उनके स्थान पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने नगर परिषद सीकर में कार्यवाही की तथा उपखण्ड अधिकारी सीकर के आदेश दिनांक 16.12.2003 के अनुसरण में उक्त आराजी खसरा नम्बर 233 नया (जिसका पुरान नम्बर 129/2 है) की धारा 90 बी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत नामान्तरकरण संख्या 204 दिनांक 08.01.2004 नगर परिषद सीकर के नाम से स्वीकार हुआ। उन्होंने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की माता जमना देवी द्वारा खरीदशुदा भूखण्ड साईज 90X140 फीट में से नगर परिषद सीकर द्वारा तय मानकों के अनुसार रास्ते की भूमि काटकर 39X93 फीट का पट्टा संख्या 1524 दिनांक 06.11.2004 जारी किया गया, जो दिनांक 18.11.2004 को रजिस्टर्ड हुआ, इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता की मृत्यु

P.T.O.

(5)

होने के कारण प्रार्थी के हक में 45X140 फीट में से नगर परिषद सीकर द्वारा तय मानकों के अनुसार रास्ते की भूमि काटकर 39X93 फीट का पट्टा संख्या 1523 दिनांक 06.11.2004 जारी किया गया जो दिनांक 18.11.2004 को रजिस्टर्ड हुआ, उक्त दोनों ही पट्टे सीकर जयपुर रोड की सेन्टर लाईन से 115 फीट भूमि छोड़कर जारी किये गये किन्तु मौके पर रेस्पोजेन्ट संख्या 2 का कुल 90X140 फीट पर पूर्वानुसार कब्जा है जिसके चारों तरफ पूर्वानुसार बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है।

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि रेस्पोजेन्ट संख्या 2 के पिता रामेश्वरलाल की मृत्यु दिनांक 11.07.2002 को हुई व प्रार्थी की माता श्रीमती जमनादेवी की मृत्यु दिनांक 19.04.2007 को हुई इस कारण रेस्पोजेन्ट संख्या 2 उत्तराधिकारी होने के नाते उक्त भूखण्ड का मालिक, स्वामी, काबिज एवं अधिकारी है, रेस्पोजेन्ट संख्या 2 ने अपने माता-पिता की मृत्यु होने के बाद सन् 2011 में उक्त भूखण्ड के दक्षिण पश्चिमी कोने में पुख्ता कमरा बनवाया तथा वर्ष 2014 में मिट्टी का भराव करवाया बाउण्ड्रीवाल को ऊँचा करवाया व पानी की टंकी बनवाई तथा रेस्पोजेन्ट संख्या 2 ने अपने नाम से विधुत कनेक्शन ले रखा है।

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि पन्नालाल व अपीलान्त ने आपस में साजकर रेस्पोजेन्ट संख्या 2 की सम्पत्ति हड़पने के लिये पन्नालाल ने भूखण्ड अलारख को सन् 1980 में ही बेचे जाने के बावजूद उसी भूखण्ड के एक भाग का बेचान अपीलान्त को दिनांक 15.12.2011 व प्रदीप पाटोदिया के हक में दिनांक 12.12.2011 व दिनांक 06.01.2012 को फर्जी व अवैध रूप से बिना कोई अधिकार बेचाननामा कर नगर परिषद सीकर को मुगालता देकर व धोखाधड़ी के आधार पर फर्जकारी दस्तावेज के आधार पर दिनांक 16.07.2013 को 4 पट्टे जारी करवा लिये जो रेस्पोजेन्ट संख्या 2 की शिकायत पर नगर परिषद सीकर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर दिनांक 28.01.2015 को निरस्त किये जा चुके हैं तथा जिसके अनुसरण में उप पंजीयक कार्यालय में पट्टा संहारित करने का नोट भी लगाया जा चुका है। उन्होने आगे कथन किया है कि प्रदीप पाटोदिया व पवन केजरीवाल ने पन्नालाल से साजकर अवैध व नुमाईशी दस्तावेजों के आधार पर नगर परिषद सीकर से भूखण्ड संख्या 1, 2, 3, 4, 6 के पट्टे जारी करवाये हैं जबकि पन्नालाल दिनांक 24.12.1980 को ही उक्त भूमि अलारख को विक्रय कर चुका था इस कारण उसे दुबारा बेचान का अधिकार नहीं था, इस प्रकार पट्टा बहक प्रदीप पाटोदिया पट्टा संख्या 6668 बहक प्रदीप पाटोदिया व पट्टा क्रमांक 6669 बहक पवन केजरीवाल व पट्टा क्रमांक 6670 बहक प्रदीप पाटोदिया अवैध, कपटपूर्ण व मिथ्या दस्तावेज विक्रय पत्रों के आधार पर बनवाया गया है।

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि पन्नालाल ने अलारख को दिनांक 24.01.1980 में किये गये विक्रय पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि विक्रित भूमि एक बीघा के दक्षिण में नेशनल हाईवे

P.T.O.

संभागीय आयुक्त

संभागीय आयुक्त

(6)

लगता हुआ है, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के माता-पिता की खरीदशुदा भूमि अलारख द्वारा बेची गई भूमि का एक भाग है, जो जयपुर सीकर रोड की सेन्टर लाईन से उत्तर में 75 फीट दूर स्थित है जिसकी लम्बाई उत्तर-दक्षिण 140 फीट है किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व उसकी माता के हक में जो पट्टे जारी किया गये हैं उनमें तय मानकों के अनुसार सेन्टर लाईन से 115 फीट दूर पट्टे जारी किये गये हैं जबकि प्रदीप पाटोदिया व पवन केजरीवाल ने सेन्टर लाईन से 75 फीट की दूरी पर ही पट्टे बना लिये हैं जब नगर परिषद ने रेस्पोडेन्ट की माता के हक में सेन्टर लाईन से 115 फीट दूर पट्टे बना दिये तो नगर परिषद को कोई अधिकार नहीं है कि उसी भूमि बाबत 75 फीट छोड़कर दूसरे व्यक्तियों को पट्टा बना दे। उन्होंने कथन किया है कि नगर परिषद रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व उसकी माता के हक में दिनांक 06.11.2004 को पट्टे जारी कर चुकी है, इस कारण नगर परिषद को उक्त भूमि का पट्टा दुबारा किसी अन्य व्यक्ति को जारी करने का कानूनन अधिकार नहीं है, मौके पर प्रदीप पाटोदिया व पवन केजरीवाल का कोई कब्जा नहीं है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि एफ.आई.आर. नम्बर 18/2017 पन्नालाल विरुद्ध राधेश्याम सैनी, पवन कुमार, प्रदीप कुमार पाटोदिया, महेश ढाका के विरुद्ध थाना उधोग नगर सीकर दिनांक 04.01.2017 को दर्ज करवायी जिसमें पन्नालाल ने स्पष्ट कहा है कि मेरे द्वारा मेरे दूर के रिश्ते में भान्जा राधेश्याम सैनी पुत्र श्री मोतीराम सैनी को दिनांक 10.10.2011 को एक मुख्यारनामा (पॉवर ऑफ एटॉर्नी)निष्पादित करवा दी परन्तु राधेश्याम द्वारा मुझे बताये बिना ही एक माह के भीतर-भीतर दिनांक 15.12.2011 को छलपूर्वक मेरे द्वारा पूर्व में विक्रित भूमि को जो मैंने अल्लारख को बेची थी तथा सड़क के नजदीक थी जिसकी पॉवर ऑफ अटॉर्नी मेरे द्वारा नहीं दी गई थी उस जमीन को श्री पवन कुमार केजरीवाल पुत्र श्री हीरालाल, प्रदीप पाटोदिया पुत्र श्री चौथमल को विक्रय कर दिया जबकि प्रदीप कुमार पाटोदिया और पवन कुमार केजरीवाल को पूर्व से इस बात का पता था कि पन्नालाल द्वारा यह भूमि पहले से ही अल्लारख को विक्रय की गई थी इसके बावजूद उक्त प्रदीप कुमार पाटोदिया व पवन कुमार केजरीवाल एवं राधेश्याम गवाह कैलाश चन्द, जितेन्द्र पांचों ने मिलकर बेची हुई भूमि का विक्रय पत्र उप पंजीयक सीकर से आपसी साजिश रखकर निष्पादित करवाया है तथा नगर परिषद सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.01.2015 पत्रावली का सम्पूर्ण अवलोकन कर विधि अनुसार ही पारित किया गया है, जो कि पूर्णतः विधि सम्मत है। अतः कार्यालय नगर परिषद सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2015 को यथावत रखा जाकर निगरानी खारिज फरमाये जाने के आदेश पारित करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार पन्नालाल द्वारा आराजी अलारख को विक्रय की गई है तथा अलारख ने इस खरीदशुदा भूमि से 1400 वर्गगज का भूखण्ड

P.T.O.

संभागीय आयुक्त  
जयपुर

(7)

दिनांक 24.12.1980 विक्रय किया गया है तत्पश्चात् उक्त आराजी को अल्लारख द्वारा को जरिये विक्रय इकरारनामा सरोज शाह को किया गया और सरोज शाह ने इसे दिनांक 28.03.87 को दो भागों रेस्पोजेन्ट महावीर के माता व पिता को जरिये इकरारनामा विक्रय किया गया जिसके आधार पर रेस्पोजेन्ट संख्या 2 एवं उसकी माता द्वारा नगर परिषद सीकर द्वारा पट्टा लिया गया है तथा वादग्रस्त आराजी के खातेदार पन्नालाल द्वारा अल्लारख को बेची गई भूमि का दूबारा बेचान करने का अधिकार नहीं होते हुए भी पन्नालाल द्वारा उसी भूमि को विधि विरुद्ध बेचान निगरानीकार व अन्य को किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी (आयुक्त) नगर परिषद सीकर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 28.01.2015 में कानूनी त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की निगरानी खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी (आयुक्त) नगर परिषद, सीकर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 28.01.2015 को यथावत रखा जाता है।

(टी०रविकान्त)

संभागीय आयुक्त  
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 29.08.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त  
जयपुर